

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर



फ़ाक्स : जीवाजीलैंटरी
दूरध्वाध : 0091-(0751) 2442801
(कामालियर)
फैक्स : 2442462 (विभाग)
(0091-0751-2341768)
E-mail : jiwajidcdc@gmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

क्रमांक: एफ/सम्बख्ता/2019/ 6247

दिनांक : 28-09-2019

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16 अप्रैल एवं 26 अप्रैल 2019 की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 जून 2019 के पद क्रमांक (01) के निर्णयानुसार **SUBHASH CHANDRA BOSE MAHAVIDYALAY, GWALIOR** को सत्र 2019-20 के लिये अस्थाई सम्बख्ता प्रदान की जाती है।

SUBHASH CHANDRA BOSE MAHAVIDYALAY, GWALIOR	B.ED.	100
---	-------	-----

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. परिनियम 28(17) के अन्तर्गत स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

आदेशानुसार


कुलसचिव

नोटिस:-

- उक्त कार्यवाही 30 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण करें, अन्यथा सब 2020-21 की सम्बद्धता प्रदान की जाना सम्भव नहीं होगा।
- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी (यू.जी.सी. के नियमानुसार) आगामी सब में निरीक्षण प्रोफार्म के साथ दिये गये प्रोफार्म में माय चयन समिति की अनुशंसा के साथ एवं मैनेजमेंट द्वारा नियुक्त शिक्षकों की जानकारी पृथक प्रोफार्म में बदल कर प्रस्तुत करनी होगी तभी महाविद्यालय को आगामी सब की अस्थायी सम्बद्धता पर विचार किया जावेगा।

प्रति,

- प्राचार्य, **SUBHASH CHANDRA BOSE MAHAVIDYALAY, GWALIOR**
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रातपुङ्गा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त रांचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, झालियर-चंबल रांभाग, मोतीमहल परिसर, झालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, झालियर।
- परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, झालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



Dr. Jayant Patel,
डायरेक्टर,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्